शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिये बाधारहित वातावरण निर्माण के उपाय

(Measures to Creation of Barriers free Environment for Teaching Learning process)

विद्यालय की संरचना एवं व्यवस्था को बाधा-रहित बनाने के बाद महत्वपूर्ण विषय विकलांग छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना होता है। इसके लिये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वातावरण भी पूर्ण बाधारहित होना चाहिये। इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करने के लिये निम्नलिखित उपाय करने चाहिये जिससे विकलांग छात्रों को किसी प्रकार की बाधा-उत्पन्न न हो —

(i) शिक्षकों को विद्यालयी व्यवस्था तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों का सहयोग लेना चाहिये जिससे वे अपने बालक-बालिकाओं को विद्यालय तक पहुँचा सकें तथा उनकी शैक्षिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर सकें।

(ii) शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में ही विकलांग बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक तथ्यों का ज्ञान

(iii) शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचारों का ज्ञान भी रखना चाहिये जिससे वे क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान

Scanned with CamScanner

कर सके तथा शिक्षण कौशलों का उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सके।

(iv) शिक्षकों को विकलांग छात्रों के लिये उनकी रुचि, योग्यता एवं स्तर के अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिये जिससे छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनी पूर्ण सहभागिता का प्रदर्शन कर सके तथा अधिगम स्तर को उच्च कर सके।

(v) शिक्षकों को कक्षा-कक्ष की बैठक व्यवस्था को विकलांग छात्रों के अनुरूप व्यवस्थित करना चाहिए, जैसे कम दिखायी देने वाले छात्रों को कक्षा में आगे बैठने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उनको अधिगम में कष्ट न हो।

(vi) शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में ही समावेशी दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये जिससे वे विकलांगों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ सकें तथा उनका पालन कर सकें। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वातावरण सर्वोत्तम रूप में विकसित होगा तथा उसमें कोई बाधा नहीं होगी।

(vii) शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक एवं रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिये जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण हो तथा प्रत्येक छात्र की सहभागिता उसमें बनी रहे। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वातावरण बाधारहित रूप में होगा

Scanned with CamScanner

(viii) शिक्षकों को विकलांगों के सन्दर्भ में प्रचलित पूर्वाग्रहों को त्यागना होगा तथा मन में यह धारणा बनानी होगी कि विकलांग एवं अपवंचित बालक भी ठीक उसी प्रकार विकास कर सकते हैं, जिस प्रकार सामान्य छात्र विकास करते हैं।

(ix) शिक्षकों को अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रदर्शन करना होगा तथा आशावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए विकलांग छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याओं का समाधान तब तक करना होगा जब तक कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वातावरण बाधारहित न हो जाय।

(x) शिक्षकों को अपनी भूमिका एक सहयोगी एवं सुविधादाता के रूप में प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वे विकलांग एवं अपवंचित छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास कर सकें, इससे शिक्षकों के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा।

(xi) शिक्षकों को प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षा-शास्त्रियों के साथ मिलकर विकलांग एवं अपवंचित छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु कार्य योजना तैयार करनी चाहिये जिससे कि किसी प्रकार की बाधा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया न रहे।

उपरोक्त उपायों से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वातावरण पूर्णतः बाधारहित स्थिति में होगा।

Scanned with CamScanner

तथा विकलांग एवं अपवंचित छात्रों का अधिगम स्तर उस स्थिति तक उच्च होगा जिस स्थिति तक छात्रों में अधिगम करने की योग्यता है।

मुख्यधारा और समावेशी शिक्षा
(Mainstreaming and Inclusive Education)

सामान्यतः भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा शैक्षिक अवसरों की समानता एवं समावेशी शिक्षा के लिये विभिन्न प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार किये जा रहे हैं। इसमें वैधानिक स्तर से सरकार द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं तथा गैरसरकारी संगठनों द्वारा भी प्रयासों को साकार रूप दिया जा रहा है। इसके लिये राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद की स्थापना अधिनियम 1992 के अनुसार की गयी। अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा व्यवस्था के लिये अधिनियम 1995 पारित किया गया तथा नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 पारित किया। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अक्षम व्यक्तियों तथा वर्ग, जेन्डर की शिक्षा के बारे में विचार किया गया। वर्तमान संविधान 93 वें संशोधन में भी यह व्यवस्था की गयी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसमें अक्षम बालकों को भी सम्मिलित किया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन् 2000 में समावेशी शिक्षा

Scanned with CamScanner

वाले विद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया, जिसमें कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करने में सुविधा हो सके।

अतः समावेशी बालकों को मुख्य धारा में लाने के लिये समावेशी विद्यालयों की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है।

1. शिक्षा का सार्वभौमिकरण :— समावेशी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है। जिन विद्यालयों में विकलांग, अक्षम, गरीब एवं अपवंचित वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को पढ़ने के अवसर नहीं दिये जाते उन बालक-बालिकाओं को इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। इससे शिक्षा के सार्वभौमीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है तथा देश का प्रत्येक बालक-बालिका शिक्षित होता है।

2. आत्मविश्वास का विकास :— समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य विकलांग, अक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों में समान रूप से आत्मविश्वास का विकास करना है।

3. सामाजिक सम्मान का उद्देश्य :— समावेशी विद्यालयों में प्रत्येक छात्र में आत्म सम्मान की भावना विकसित की जाती है।

Scanned with CamScanner

अक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को यह सिखाया जाता है कि उनका समाज में वही स्थान है जो कि एक सामान्य व्यक्ति का होता है। इस आधार पर उनके कार्य एवं व्यवहार में निखार आता है तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

4. प्रजातान्त्रिक शिक्षा व्यवस्था :—

समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सरल एवं निष्पक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करना है। इसमें छात्रों के साथ किया जाने वाला प्रत्येक व्यवहार उनको यह अनुभव कराता है कि प्रत्येक छात्र समान है। इसमें प्रत्येक छात्र से सहभागिता एवं निर्णयन प्रक्रिया में अपनी भूमिका प्रस्तुत करने को कहा जाता है जिससे प्रत्येक छात्र अपने आपको सभी के समान समझता है जबकि भले ही वह अपवंचित एवं अक्षम वर्ग का हो।

Scanned with CamScanner